

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

सहायक कलक्टर

मुकाम

बायत

हरजीराम

बनाम

डालू राम वगैर

किस्म मुकदमा रा.क्र.

111,128

242 अं

47/2021

सन्

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.2.21	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/सेम्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक को पेश हो।</p>	
30/03/21	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्रार्थी/वादी के नोटिस तामिल हुक्म तामिल हुक्म समान पीठाधीन अधिकारी का पत्र रिक्त होने से मिशाल इल्लवा होडा आगामी दिनांक 24/06/21 को पेश हो।</p>	
24/06/21	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्रार्थी/वादी के नोटिस तामिल हुक्म तामिल हुक्म समान पीठाधीन अधिकारी का पत्र रिक्त होने से मिशाल इल्लवा होडा आगामी दिनांक 01/11/2021 को पेश हो।</p>	

Dany

सहायक कलक्टर
(SDO) बायत



01/11/2021

पार्थी वहील उपस्थित। विपक्षीगणों के
नोटिस तामिल सुडा प्राप्त जिते वामिल
पत्रावली विभा गमा। विपक्षीगण वाक्कुड
तामिल अनुसुपस्थित। सीमान पीठामीन अधिदारी
प्रशासन जाँचे के संग सभियान-2021 के व्यत्य
होने से मिवाल इलतवा होडर आगामी दिनांड-
18/11/2021 को पैका ही।

18/11/21

पार्थी वहील उपस्थित। विपक्षीगण अनुसुपस्थित।
सीमान पीठामीन अधिदारी प्रशासन जाँचे के संग
सभियान-2021 में व्यत्य होने से मिवाल इलतवा
होडर आगामी दिनांड 30/11/2021 को पैका ही।

30/11/21

पत्रावली आज प्रशासन जाँचे के संग सभियान-2021 के व्य गाम पंचायत डोसरिया में रखी गई पार्थी वहील उपस्थित। विपक्षीगण वाक्कुड तामिल अनुसुपस्थित जिनके विरुद्ध एडलरफा डार्म-वाही कमल में लाई जाली है। पार्थी के अधिवक्ता की बहका सुनी गई पार्थी के अधिवक्ता डारा बलामा ही पार्थी व विपक्षीगणों के प्र्यातदारी व्येत सेवा सेठ साथे डुर है। पार्थी व विपक्षीगणों के खेले के मध्य जो पुरानी माहे व डो माथे डुर थे जो वतमान के माधियो की वजह से विघ्न गये है जिससे पार्थी को अपने व्येत के सेठो का सही बान नही हो पा रहा है व्येत के

सहायक कमिस्टर
(SDO) बायत

सेही को लेकर प्रार्थी व विप्रार्थीजनों के मध्य
दमका तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को
अपने धैर्य के सेही को सही ज्ञान करने
के लिए नेचमवली डरवानी आवश्यक है। इसके
प्रार्थी को नेचमवली कावेडन स्वीकार किया
जाए। नेचमवली कावेडन किया जावे।

दिल: प्रार्थी अधिकतर के
निवेदन पर प्रार्थी को नेचमवली कावेडन
स्वीकार किया जाइए तदमीलगत वायु को डमि-
शनर व सम्बन्धित भू-समिलेय निर्मित को
सहायक डमिशनर नियुक्त किया जाइए कावेडन
किया जाता है कि आयु स्वयं या सहायक
डमिशनर से प्रार्थी के प्यातेदारी स्वैतो ही पन्दी
नेचमवली मोडे पर डमिशनर शुल्ड जमा डाला
करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पता-
पत्नी हो, पत्नी फेलस शुमार होइए दर्ज
नाम्बर से इस को, पायिल दफ्तर हो।

२

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक/वाद/2021/1418
प्रार्थी

दिनांक:- 30/11/21
विप्रार्थीगण

बनाम

1. हरजीराम पुत्र तुलछाराम
जाति कुम्हार, निवासी रिदूसर
पटवार मण्डल खींपर
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. डालूराम पुत्र तुलछाराम वगैरा 14
जाति कुम्हार, निवासी खींपर
पटवार मण्डल खींपर
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 47/2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - खींपर, पटवार मण्डल - खींपर, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 517, 696/519, 726/576 रकबा क्रमशः 0.1133 हैक्टर, 0.0647 हैक्टर, 5.3151 हैक्टर व मौजा- रीदूसर, पटवार मण्डल - खींपर, तहसील- बायतु के खेत खसरा नं. 189/8, 192/8 रकबा क्रमशः 0.6391 हैक्टर, 0.9708 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 30/11/21

कमांक/वाद/2021/1419-23
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का खींपर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री हरजीराम पुत्र तुलछाराम
4. विप्रार्थी श्री डालूराम पुत्र तुलछाराम वगैरा 14
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक क्लर्क
(SDO) बायतु